सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

भाद्र 13, बुधवार, शाके 1935–सितम्बर 4, 2013
Bhadra 13, Wednesday, Saka 1935–September 4,2013

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 4, 2013

एस.ओ. 135.–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि,–

(i) केन्द्र या राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीतियों;

(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और;

(iii) उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत,

के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि उपापन संस्थाओं द्वारा नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के प्रवर्ग को, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट विषयवस्तु के उपापन के लिए, उक्त सारणी के नीचे वर्णित सामान्य शर्तों और स्तम्भ संख्यांक 4 में वर्णित शर्तों पर अधिमान दिया जायेगा, अर्थात्:–

सारणी

क्र. सं.	उपापन की विषय–वस्तु	बोली लगाने वालों के स्रोत / प्रवर्ग	शर्तें / अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	(क) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, यू.जी. सी. अधिनियम, 1956 की	

1	2	3	4
	वृत्तिक सेवाएं जैसे भर्ती परीक्षा, डी.पी.आर, सर्वेक्षण, अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यशाला इत्यादि	धारा 2 च के अधीन उसके द्वारा प्रत्यायित राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय उनके घटक महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एन.आई.टी.), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई.आई.टी.), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई.आई.एम.), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (रा.वि.वि.) जोधपुर, राजस्थान नोलेज कारपोरेशन लि. (आर.के.सी.एल.)	–
	(ख) नियोजन के लिए वृत्तिक कौशल के विकास का प्रशिक्षण	राजस्थान स्किल एण्ड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कारपोरेशन (आर.एस.एल.डी.सी.)	–
2.	भारत सरकार के महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान (डी.जी.एस.एण्ड डी.) के साथ दर संविदा पर मदें	महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान (डी.जी.एस.एण्ड डी.), भारत सरकार या डी.जी.एस.एण्ड डी. दर संविदा धारण करने वाली फर्में	1. क्रय आदेश डी.जी.एस.एण्ड डी. या आदेश देने की तारीख पर डी.जी.एस.एण्ड डी. के साथ विधिमान्य दर संविदा धारण करने वाली किसी फर्म को प्रत्यक्ष मांग करने वाले अधिकारियों को सम्मिलित करते हुये, उपापन संस्था द्वारा दिया जायेगा।

1	2	3	4
			2. उपापन की जाने वाली मद के लिए डी. जी. एस. एण्ड डी. दर संविदा वाली फर्म यदि राजस्थान में स्थित है तो उस फर्म को अधिमान दिया जायेगा। 3. उपापित मद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डी. जी. एस. एण्ड डी. की जयपुर शाखा से मद का निरीक्षण कराया जा सकेगा।
3.	सू. प्रौ. और ई–गवर्नेंस परियोजनाओं से संबंधित माल और सेवाएं	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग / राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि. / नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेन्टर / नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्कोरपोरेटेड (एन.आई.सी.एस.आई.)	राज्य सरकार के विभागों के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी आवश्यक होगी।
4.	(क) पीतल के बर्तन (ख) हाथ से छपी या हाथ से बनी फर्निशिंग फेब्रिक्स, नेपकिन्स, पर्दे, टेपस्ट्रीज (ग) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) को भेंट करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एक संव्यवहार में क्रयों का मूल्य 10,000 / – रुपये और एक वर्ष में 1,00,000 / – रुपये से अधिक नहीं होगा।

1	2	3	4
	(घ) पॉलीथीन के थैले, टेंट, त्रिपाल और कांटेदार तार	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	दरें वहीं होंगी जो उद्योग विभाग विनिश्चित करे।
	(ङ) लोहा और इस्पात	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	परन्तु यह कि राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्रभारित की गयी दरें सेल (एस.ए.आई.एल.) स्टॉक यार्ड की कीमतों से अधिक न हों।
	(च) स्टील फर्नीचर	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	राजस्थान लघु उद्योग निगम, निम्नलिखित शर्तों पर लघु स्तर उद्योगों से खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रित करने के पश्चात् क्वालिटी स्टील फर्नीचर प्रदाय करेगाः– (i) राजस्थान लघु उद्योग निगम ऐसे विनिर्देश देगा जो विभागों द्वारा अपेक्षित हैं और जो विनिर्माताओं द्वारा पूरे किये जाने हैं और उन विनिर्देशों और क्वालिटी के अनुसार उनका प्रदाय भी सुनिश्चित करेगा।

1	2	3	4
			(ii) राजस्थान लघु उद्योग निगम का मानक मान्यताप्राप्त निरीक्षण अभिकरण उनके द्वारा प्रदाय किये जा रहे माल की क्वालिटी का निरीक्षण करेगा। (iii) प्रशासनिक विभाग दरों का अनुमोदन करेगा। (iv) राजस्थान लघु उद्योग निगम सेवा प्रभार प्रभारित करेगा जो 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या ऐसा होगा जैसा प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।
	(छ) मोजेइक सीमेन्ट टाइल्स, आर.सी.सी. सीमेन्ट पाइप्स, पी.वी.सी. वायर्स और केबल्स, रूम कूलर्स (डेजर्ट टाइप)	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एस.एस.आई. इकाइयों से खुली प्रतियोगी बोली आमन्त्रित करने और 3 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभारों को जोड़ने के पश्चात् दरें कमेटी द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।

1	2	3	4
			प्रशासनिक विभाग दरें अनुमोदित करेगा।
5.	कोयला	कोल इण्डिया लिमिटेड	
6.	उर्वरक और कीटनाशी (पेस्टीसाइड्स)	राजफैड जिसमें इसकी क्रय–विक्रय सहकारी समितियां और ग्राम सहकारी समितियां सम्मिलित हैं (जो राजफैड की सदस्य हैं) और इफको, कृभको	क्रय–विक्रय सहकारी समितियां और ग्राम सहकारी समितियां, राजफैड द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक दरों पर उर्वरक और कीटनाशी का विक्रय नहीं करेंगी।
7.	बीज	राजस्थान राज्य बीज निगम और अनुपलब्धता की दशा में, अन्य राज्य बीज निगम और उनके आउटलेट	–
8.	शराब / स्प्रिट	(i) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (ii) राज. राज्य बेवरेज निगम लि.	–
9.	दूध, घी, क्रीम, और अन्य उत्पाद	राजस्थान कॉ–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इसकी दुकानें	–
10.	(क) वर्दी (कपड़ा या सिली हुई वर्दी): सभी प्रकार की टेरीकोट (या पॉली–क्लॉथ) सूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां, पेटीकोट वस्त्र, साफे इत्यादि (केवल वर्दी के लिये)	1. राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी भण्डार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम 2. महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी	(1) उपापन संस्था, अग्रिम रूप से, उत्पादन कार्यक्रम के लिए राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, बुनकर संघ, खादी भण्डार, अमृता सोसाइटी और

1	2	3	4
	(ख) बेडिंग और फर्निशिंग : बेडशीटें, ड्रा–सीटें, खेस, कम्बल, मेट्रेस, रजाई, तकिये, और उनके कवर वस्त्र, टेबल कवर, पर्दों के वस्त्र इत्यादि	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी भण्डार	राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अपनी प्रत्याशित आवश्यकता, आदेश देने की तारीख और परिदान अनुसूची भेजेगी।
	(ग) फ्लोर कवरिंग : दरी, दरी पट्टी इत्यादि	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी भण्डार	(2) उत्पादों की दरें और विनिर्देश उद्योग विभाग द्वारा नियत किये जायेंगे। अमृता सोसाइटी से उपापन की दशा में दरें, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा नियत की जायेंगी।
	(घ) अन्य वस्त्र मदें: डस्टर, बस्तें, स्पोंज वस्त्र, टर्किश टॉवल इत्यादि	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी भण्डार	
	(ङ) गोज बेण्डेज	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम	(3) केन्द्रीयकृत क्रय प्रतिषिद्ध हैं। विभाग की आवश्यकता खादी भण्डार/ बुनकर संघ/ राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम/ अमृता सोसाइटी के जिला स्तरीय डिपो या निकटस्थ डिपो के माध्यम से उपाप्त की जा सकती है।
11.	(क) सुरक्षा व्यवस्था	1. राजस्थान पुलिस विभाग 2. राजस्थान होम गार्ड विभाग	1. राजस्थान पुलिस और

1	2	3	4
		3. राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक	राजस्थान होम गार्ड विभाग से उपापन के लिए दरें, प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी।
	(ख) तकनीकी और अन्य सेवाएं	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक	2.राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड से उपापन के लिए दरें उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी।
12.	(क) राष्ट्रीय ध्वज और ऊनी वर्दी सहित खादी वस्त्र	खादी भण्डार	–
	(ख) स्टील फर्नीचर	राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां	1. राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड रजिस्ट्रीकृत ग्रामीण इकाइयों के नाम और उनके द्वारा विनिर्मित स्टील की मदों के विनिर्देशों के ब्यौरों को दर्शित करते हुए अनुमोदित दरों सहित सूची (प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को) प्रकाशित करेगा।

1	2	3	4
			2. प्रशासनिक विभाग दरों को अनुमोदित करेगा। 3. एक वित्तीय वर्ष में 2.00 लाख रुपये तक।
13.	(क)(i) औषध और औषधियां, टीके, सर्जिकल, सूचर को सम्मिलित करते हुए	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (आर.एम.एस.सी.एल.) या राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आर.डी.पी.एल.) या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.)	–
	(ii) चिकित्सा उपस्कर, उपकरण और अन्य अस्पताल आपूर्ति	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (आर.एम.एस.सी.एल.)	
	(ख) होम्योपैथी औषधियां	महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के द्वारा अनुमोदित दरों पर	
	(ग) आयुर्वेदिक औषधियां: जो आयुर्वेद विभाग की फार्मेसियों द्वारा तैयार नहीं की जाती हैं	महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) द्वारा अनुमोदित दरों पर। आयुर्वेद विभाग उन औषधियों को तैयार करता रहेगा जो उनकी फार्मेसियों द्वारा तैयार की जाती हैं	
	(घ) कृत्रिम अंग और सहायक युक्तियां	भारत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)	

1	2	3	4
14.	खाद्य तेल, खल और तेल रहित खल	तिलम संघ, राजस्थान	–
15.	अनाज और दालें	राजफैड़ / राजस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड / भारतीय खाद्य निगम	–
16.	पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, फर्नेस ऑयल, एल.पी.जी., ऑयल	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आई.बी.पी., भारत पेट्रोलियम	–
17.	पारा	भारतीय खनिज और धातु निगम	–
18.	चमड़े की वस्तुएं	भारत लैदर एम्पोरियम या इसकी खुदरा दुकानें–एक लाख रुपये प्रतिवर्ष तक	–
19.	लोहा और इस्पात	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान स्टील के स्टॉक यार्ड	–
20.	साज–सज्जा की (फर्नीशिंग) मदें जैसे टेबिल कवर, बैड कवर, चद्दरें, तौलिए, नेपकिनें, पर्दे के कपड़ें और टेपेस्ट्रीज	भारत सरकार, राजस्थान सरकार या अन्य राज्य सरकारों के हथकरघा की प्राधिकृत दुकानें– 1.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक	–
21.	जूट कारपेट्स और डोरमेट्स	भारत सरकार का कोयर बोर्ड	–
22.	ड्राइंग, सर्वेक्षण और अन्य गणितीय उपकरण	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी लिमिटेड (भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता)	–
23.	(क) ग्रोसरी, नियन्त्रित वस्तुओं और औषधियों की मदें	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कोनफेड) की खुदरा दुकानें या उपभोक्ता संघ (कोनफेड) के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार, उपहार, समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली	1. सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों को इन वस्तुओं का प्राधिकृत थोक विक्रेता होना चाहिए और / या मूल विनिर्माताओं /

1	2	3	4
			उत्पादकों से सीधे ही आपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रत्येक बिल/कैश मेमों पर अभिलिखित किया जायेगा। 2. ग्रोसरी की मदों के मामले में, शक्तियों का प्राथमिक रूप से अभिप्राय आकस्मिक आवश्यकताओं और छोटे क्रयों के लिए है। थोक और नियमित क्रय के लिए उपापन संस्था आदेश देने से पूर्व दरों के संबंध में क्रय समिति के माध्यम से बातचीत करेगी। थोक क्रय करते समय समान ब्राण्ड की मदों की बाजार दरों को ध्यान में रखा जायेगा। (3) औषधियों का क्रय केवल आकस्मिक

1	2	3	4
			आवश्यकताओं तक ही सीमित रहेगा। थोक क्रय के मामले में क्रय सीधे सरकारी उपक्रमों, विनिर्माताओं इत्यादि से किया जायेगा।
	(ख) स्टेशनरी की वस्तुएं	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कोनफेड) की खुदरा दुकानें और उपभोक्ता संघ (कोनफेड) के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों, उपहार, समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली, महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी	1.00 लाख रुपये वार्षिक की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक अवसर पर 10,000/– रुपये तक।
	(ग) फिनाइल, साबुन, डिजरजेंट्स, झाड़ू, फिनिट, पम्प, टम्बलर्स, बेटरी सेल, टार्च, मग, बाल्टियां, थैले, टॉयलेट फ्रेशनर, वाशिंग पाउडर, क्लीनिंग पाउडर, इत्यादि	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कोनफेड) की खुदरा दुकानें और उपभोक्ता संघ (कोनफेड) के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों, उपहार, समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली, महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी	50,000/– रुपये वार्षिक की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक अवसर पर 10,000/– रुपये तक।
24.	वनों की फसलीकृत और रूपान्तरित सामग्री अर्थात् ईंधन काष्ठ, चारकोल, इमारती लकड़ी, बल्लियां और अन्य लकड़ी की वस्तुएं	वन विभाग (राज्य व्यापार योजना)	–

1	2	3	4
25.	(क) विनिर्मित वस्तुएं उदाहरणार्थ डस्टर, पट्टियां, गॉज क्लाथ, बस्ता, टेप, पर्दे का कपड़ा, निवार क्लोथ, कारपेट, दरियां इत्यादि	सरकार के विभाग (जैसे कारागार विभाग इत्यादि)	–
	(ख) डेजर्ट कूलर	महानिदेशक, कारागार, जयपुर द्वारा अनुमोदित दरों पर राज्य के केन्द्रीय कारागारों द्वारा विनिर्मित	–
26.	वेक्सीन, फ्रोजन सीमन, लिम्फ और एण्टीजन	अनुमोदित सरकारी संस्थाएं जैसे स्टेट वेक्सीन संस्थान, पटवदनगर इत्यादि	–
27.	फाइल कवर, फाइल पेड, लिफाफे, ग्रीटिंग कार्ड, चॉक स्टिक, मोमबत्ती, डस्टर, बस्ते	ऐसी संस्थाओं से जहां ये मदें मानसिक रूप से चेलेन्ज्ड या विशेष योग्यजन द्वारा बनायी जाती है	ऐसी संस्थाओं और मानसिक रूप से चेलेन्ज्ड या विशेष योग्यजन द्वारा उत्पादित मदों और उनकी दरों की सूची प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जायेगी। ऐसी सूची की विधिमान्यता, यदि पूर्व में समाप्त न हुई हो तो, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जायेगी।
28.	पशुओं और पक्षियों के लिए चारा और दाना	राजफैड / राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन	–

1	2	3	4
29.	पिक्चर्स और पेंटिंग्स	प्रदर्शनियों या प्रदर्शनों से	राजस्थान ललित कला अकादमी के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुये क्रय समिति के माध्यम से।
30.	पुस्तकें और जर्नल्स		यदि प्रत्येक मद के सामने वर्णित न्यूनतम छूट से अधिक छूट उपलब्ध हो तो वह प्राप्त की जानी चाहिए।
	(i) (क) विदेशी पुस्तकें	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	विहित दरों के अनुसार संपरिवर्तित कीमत पर 10 प्रतिशत की न्यूनतम छूट पर या भारतीय मुद्रा में इससे कम दरों पर।
	(ख) विदेशी चिकित्सा पुस्तकें /जर्नल्स/ ई–जर्नल्स को सम्मिलित करते हुए नियतकालिक पत्रिकाएं	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।
	(ii) भारतीय पुस्तकें : (क) पाठ्य पुस्तकें	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।
	(ख) पाठ्य पुस्तकों से अन्यथा पुस्तकें	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	न्यूनतम 10 प्रतिशत छूट पर।
	(iii) विधि की पुस्तकें/ भारत सरकार और अन्य राज्यों के	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।

1	2	3	4
	प्रकाशन / नियतकालिक पत्रिकाएं		
	(iv) दुर्लभ पुस्तकें / पाण्डुलिपियां / दुर्लभ दस्तावेज	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	क्रय समिति के माध्यम से।
	(v) ई–पुस्तकें, सी.डी. / डी.वी.डी., ई–जर्नल्स	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित विक्रेताओं से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।
	(vi) नियतकालिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित विक्रेताओं से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।
31.	फिल्म / फोटोग्राफी सामग्री	विनिर्माताओं या उनके प्राधिकृत व्यवहारियों से 50,000 / – रुपये तक	–
32.	(1) विश्राम भवनों, अतिथि गृहों, राजस्थान हाउस, विश्रांति (एचसीएम रीपा) टीएडी छात्रावासों / विद्यालयों इत्यादि (क) केटरिंग स्टोर्स जैसे दालें, मसाले, चीनी, नमक, आटा, गेहूं, बेसन, मैदा, सूजी, चना, सूखे मेवे, पापड़, मंगोड़ी, तेल, वनस्पति, बोतल बंद और टिन बंद सामग्री जैसे मुरब्बा, आंवला उत्पाद, केचअप, स्क्वेसेज, शर्बत, चाय, कॉफी, बिस्किट, जैम, आचार, पेपर नेपकिन्स, टायलेट	खरीद निम्न प्रकार से की जायेगी (क) 1. राज्य सरकार के विभागों / निगमों / सहकारी सोसाइटी / सोसाइटियों द्वारा चलायी जा रही दुकानों, महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी की दुकानों के माध्यम से 2. राजस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. से	1. राजस्थान में टीएडी छात्रावासों और टीएडी विद्यालयों के लिए सहकारी क्षेत्र के उपभोक्ता भण्डारों से सामग्री क्रय के मामले में आयुक्त, टीएडी उनसे उपरोक्त कथित मदों के क्रय आदेश देने से पूर्व क्रय समिति के

1	2	3	4
	पेपर, सॉसेज, कार्नफ्लेक्स, इत्यादि (ख) डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पाउडर, दही, पनीर, मक्खन, घी, क्रीम (ग) ईंधन जैसे लकड़ी, एल.पी.जी., कोयला इत्यादि (घ) मांस, मछली, अण्डे, चिकन (ङ) सब्जियां, फल (च) ब्रेड / मिठाई	 (ख) सहकारी डेयरियों से (ग) वितरकों / उप–वितरकों से उनकी वर्तमान कीमत सूची पर। चारकोल और ईंधन काष्ठ वन विभाग से (घ) व्यवहारी / उप–व्यवहारी से (ङ) राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटियों के उपभोक्ता भण्डारों, दिल्ली सुपर बाजार / स्थापित / प्रतिष्ठित खुदरा विक्रेताओं / व्यवहारियों से (च) स्थापित / प्रतिष्ठित खुदरा विक्रेताओं / व्यवहारियों से	माध्यम से दरों के बारे में बातचीत करेंगे। 2. खरीद क्रय समिति के माध्यम से की जायेगी।
	(2) कारागार, उप–कारागार, अस्पताल, उद्धार गृह, आश्रय–गृह, उत्तररक्षा गृह, पुलिस मेस इत्यादि	खुली प्रतियोगी बोली नियमानुसार आमंत्रित की जायेगीं। यदि बोली में प्राप्त दरें असामान्य रूप से उच्च समझी जायें तो निविदत्त दरों से कम दरों पर क्रय, उपभोक्ता भण्डार / सहकारी सोसाइटियों / भंडारों से बातचीत करके किया जा	–

1	2	3	4
		सकेगा या उनके सहमत न होने की दशा में क्रय उपरोक्त खण्ड (1) में यथा उपबन्धित रीति से, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा	
33.	मुद्रण कार्य (काला और सफेद और रंगीन मुद्रण) और लेखन सामग्री का क्रय	राजस्थान के समस्त राजकीय मुद्रणालय	दरें प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी।
34.	मुद्रण कार्य (काला और सफेद और रंगीन मुद्रण)	राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड से	1. दरें, मुद्रण और लेखन सामग्री के प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी। 2. उस दशा में जब कागज उपापन संस्था द्वारा प्रदाय नहीं किया जाता है तब आर.एस.सी.पी.एल. द्वारा प्रभारित कागज की लागत उनकी क्रय लागत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 3. राज्य सहकारी मुद्रणालय, मुद्रण कार्य के बीजक के साथ कागज का पूरा लेखा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

1	2	3	4
			4. उपापन संस्था द्वारा कागज की क्वालिटी और जी. एस.एम. का निरीक्षण राज्य सहकारी मुद्रणालय में किसी भी समय किया जा सकेगा।
35.	अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति को सम्मिलित करते हुए, कार्यालय और अन्य के लिए प्रयुक्त मशीनरी, उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव (ए.एम. सी. को सम्मिलित करते हुए)	विनिर्माताओं या वितरकों या प्राधिकृत व्यवहारियों के माध्यम से दरों पर बातचीत करने के पश्चात्	–
36.	अतिरिक्त पुर्जों को सम्मिलित करते हुये मोटर यानों की मरम्मत और रखरखाव	1. राजस्थान में स्थित राज्य मोटर गैराज से या विभागीय कार्यशाला में, यदि ऐसी कार्यशाला में स्वयं अपने कार्य को प्रभावित किये बिना ऐसी मरम्मत करने की यथोचित सुविधा और क्षमता हो 2. उस दशा में जब मोटर गैराज या विभागीय कार्यशालाएं ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती हैं तब मरम्मत और रख–रखाव अधिकृत व्यवहारियों से कराया जायेगा 3. उस दशा में जब कोई	अतिरिक्त पुर्जे प्राधिकृत व्यवहारियों से दरों पर बातचीत करने के पश्चात् सदैव क्रय किये जायेंगे।

1	2	3	4
		प्राधिकृत व्यवहारी न हो तो मरम्मत और रख–रखाव अधिनियम में विहित उपापन की समुचित रीति का उपयोग करते हुये स्थापित ऐसे मैकेनिकों से कराया जायेगा जिनके पास उपस्करों से सुसज्जित कार्यशाला हो	
37.	कार्यालय और अन्य प्रयोजनों के लिए भवनों और/ या निजी भूमि को किराये पर लिया जाना	समुचित स्रोत से	संबंधित कलेक्टर या जयपुर की दशा में सामान्य प्रशासन विभाग से अप्राप्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्धारण के अनुसार नियत किराये पर।
38.	उपापन की कोई विषय वस्तु जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित की जाती है या जो विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो विषयवस्तु का उत्पादन या विनिर्माण करते हैं या विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं	–
39.	मोटर यानों का क्रय	1. डी.जी.एस.एण्ड डी. दर संविदा धारक फर्मों से 2. यदि क्रय के समय डी.जी. एस.एण्ड डी. दर संविदा विद्यमान नहीं है तो उपापन	मोटर यान के मेक और मॉडल का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा उसकी नीति के

1	2	3	4
		प्राधिकृत व्यवहारी से किया जायेगा	अनुसार किया जायेगा।
40.	इलैक्ट्रोनिक, विद्युत और सौर उपस्कर और उनसे संबंधित परामर्श सेवाएं	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स और इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आर.ई.आई.एल.) से उनके द्वारा विनिर्मित मदों के लिए	–
41.	पशुओं से संबंधित औषध, औषधियां, सर्जिकल, सूचर और सेवाएं	राजस्थान पशु–चिकित्सा निगम या केन्द्र सरकार के संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	–
42.	मोटर यानों का किराये पर लिया जाना	वित्त विभाग द्वारा नियत पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले किसी भी स्रोत से	वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपवर्णित शर्तों और निबन्धनों पर और दरों तक।
43.	आपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेना	वित्त विभाग द्वारा नियत पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले किसी भी स्रोत से	वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपवर्णित शर्तों और निबन्धनों पर और दरों तक।
44.	पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों द्वारा संकर्म या सेवाओं का उपापन	कार्य निष्पादन एजेन्सियों से	संबंधित बी.एस. आर. दरों तक।
45.	वन विभाग द्वारा संकर्म और सेवाओं का उपापन	ग्रामीण वन सोसाइटियों से	संबंधित बी.एस. आर. दरों तक।
46.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली स्कीमों / परियोजनाओं / संकर्मों से संबंधित माल, संकर्म या सेवाओं का उपापन	स्वच्छता, जल और सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना (स्वच्छ)	–

1	2	3	4
47.	परामर्शी सेवाओं का किराये पर लिया जाना	पीडीकोर, वेपकोस, नेबकॉन से	–
48.	समाचार पत्रों, नियतकालिक पत्रिकाओं, इलैक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन प्रदर्शन और वृत्तचित्र फिल्मों के निर्माण को सम्मिलित करते हुए प्रचार सामग्री का तैयार किया जाना	सूचना और जनसम्पर्क विभाग (डी.आई. पी.आर.) के माध्यम से या डी.ए.वी.पी., डी.आई.पी.आर., संवाद से अनुमोदित दरों पर	–
49.	टेलीफोन, मोबाइल फोन इत्यादि के माध्यम से सामान्य उपयोक्ता समूह (सी.यू.जी.) के भीतर संचार	भारत संचार निगम लि. (बी. एस.एन.एल.)/महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी. एन.एल.) से	–
50.	शासकीय बैठकों/सम्मेलनों /आयोजनों में खाद्य और पेय, कैटरिंग	राजस्थान पर्यटन विकास निगम/भारतीय पर्यटन विकास निगम/राजस्थान राज्य होटल निगम से	–
51.	भवनों से संबंधित मूल संकर्म और मरम्मत और अन्य संकर्म	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम, आर.ए.वी.आई.एल.	प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय, वित्त विभाग की सहमति से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

सामान्य शर्तें :

1. उपापन संस्था, उपापन की उपरोक्त विषय वस्तु का उपापन करते समय, उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट स्रोतों/बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से प्रस्ताव की याचना करेगी और यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित कीमतों पर सद्भावपूर्वक बातचीत कर सकेगी।

2. उपापन संस्था उपापन की विषय वस्तुओं के लिए खुली प्रतियोगी बोली की रीति से भी उपापन करने के विकल्प को अंगीकृत कर सकेगी।
3. उपरोक्त सारणी में वर्णित स्रोतों/बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और अपेक्षित बजट व्यवस्था की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

[सं. एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

अखिल अरोरा,

शासन सचिव,

वित्त (बजट)।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, September 4, 2013

S.O. 135.-In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for,-

(i) the socio-economic policies of the Central or the State Government;

(ii) utilisation of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government or the State Government; and

(iii) saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually,

hereby notify that the preference shall be given by the procuring entities to the category of bidders specified in column number 3 of the table given below for procurement of subject matter specified in column number 2 of the said table against each of them on the

conditions mentioned in column number 4 and general conditions mentioned below the said table, namely:-

TABLE

S. No.	Subject matter of Procurement	Sources/ Category of bidders	Conditions/ Remarks
1	2	3	4
1.	(a) Professional services rendered by Academic Institutions like recruitment examination, DPR, Survey, Study, Training Workshop etc.	Central University, University established by Govt. of Rajasthan accredited by U.G.C. Act, 1956 u/s 2F including their constituent colleges, National Institute of Technology (NIT's), Indian Institute of Technology (IIT's), Indian Institute of Management (IIM's), National Law University (NLU) Jodhpur, Rajasthan Knowledge Corporation Ltd. (RKCL)	-
	(b) Professional skill development training for employment	Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC)	-
2.	Items on Rate Contract with Director General, Supplies & Disposals (D.G.S.&D.) of Government of India	DGS&D, Government of India or The firms holding DGS&D rate contract	1. Purchase order shall be placed on DGS&D by procuring entity

1	2	3	4
			including Direct Demanding Officers or a firm holding valid rate contract with the DGS&D on the date of placing order. 2. Preference will be given to the firms situated in Rajasthan, if there are any having DGS&D rate contract for the item to be procured. 3. Inspection of the item may be got conducted from the Jaipur branch of DGS&D for ensuring quality of the item procured.
3.	Goods and Services related to IT and e-Governance projects	Department of Information Technology and	Departments of State Government

1	2	3	4
		Communication/ RajComp Info Services Ltd./ National Informatics Centre/ National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI)	will require administrative and technical sanction from competent authority.
4.	(a) Brass Ware (b) Hand printed or hand woven furnishing fabrics, napkins, curtains, tapestries (c) All articles required to be presented to V.I.Ps	RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD	The value of purchases shall not exceed Rs.10,000/- in one transaction and Rs.1,00,000/- in a year.
	(d) Polythene bags, tents, tarpaulins and barbed wire	RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD	Rates will be as decided by Industries Department.
	(e) Iron & Steel	RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD	Provided the rates charged by the Rajasthan Small Industries Corporation are not more than the SAIL STOCK YARD prices.
	(f) Steel Furniture	RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD	The Rajasthan Small Industries Corporation will supply the

1	2	3	4
			quality steel furniture after inviting open competitive bids from Small Scale Industries with the following conditions :- (i) Rajasthan Small Industries Corporation will give the specifications which are required by the Departments and which need to be fulfilled by the manufacturer's and will also ensure their supply as per specification and quality. (ii) A standard recognised inspection agency of Rajasthan Small Industries Corporation

1	2	3	4
			shall inspect the quality of goods being supplied by them. (iii) The Administrative Department shall approve the rates. (iv) The Rajasthan Small Industries Corporation will charge service charge which shall not be more than 3% or as specified by the Administrative Department.
	(g) Mosaic Cement Tiles, R.C.C. Cement Pipes, P.V.C. Wires and Cables and Room Coolers (Desert Type)	RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD	The rate will be decided by a committee after inviting open competitive bids from SSI Units and adding service charges @ 3 Percent. The Administrative

1	2	3	4
			Department shall approve the rates.
5.	Coal	Coal India Limited	-
6.	Fertiliser and Pesticides	RAJFED including its Kraya-Vikraya Sahakari Samities and Gram Sahakari Samities (who are the member of RAJFED) and IFFCO, KRIBHCO	The Kraya Vikraya Sahakari Samities and Gram Sahakari Samities will sell the fertilisers and pesticides at the rates not more than the rates notified by RAJFED.
7.	Seeds	Rajasthan State Seeds Corporation and in case of non-availability, from other State Seeds Corporation & its outlets	-
8.	Liquor/Spirit	(i) The Ganganagar Sugar Mills Limited. (ii) Raj. State Beverages Corpn. Ltd.	-
9.	Milk, Ghee, Cream and other products	Rajasthan Co-operative Dairy Federation and its shops	-
10.	(a) Uniform (cloth or stitched uniforms) : All kinds of Terry-coat (or poly-cloth)	1. Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C., Khadi Bhandar, N.T.C.	(1) The Procuring Entity, in advance, will send their

1	2	3	4
	Suitings, Shirtings, Sarees, Peticot cloth, Turban etc.(for uniform only)	2. Amrita Society of Women and Child Development Department	expected requirement, date of placing order and delivery schedule to RSHDC, Bunker Sangh, Khadi Bhandar, Amrita Society & NTC for production programming.
	(b) Bedding and Furnishing: Bed-sheets, Draw-sheets, Khes, Blanket, Mattress, Quilt, Pillow and their covers and covers cloth, Table cover, Curtain cloth etc.	Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C., Khadi Bhandar	(2) The rates and specification of the products shall be fixed by the Industries Department. In case of procurement from Amrita Society, the rates shall be fixed by Women and Child Development Deptt.
	(c) Floor covering: Dari, Dari Patti etc.	Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C., Khadi Bhandar	(3) Centralised purchase is
	(d) Other cloth items: Duster, Baste, Sponge Cloth, Turkish Towel, etc.	Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C., Khadi Bhandar	
	(e) Gauge Bandage	Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C.	

1	2	3	4
			prohibited. Requirement of department can be procured through district level depot or nearby depot of Khadi Bhandar/ Bunkar Sangh/ RSHDC/ Amrita Society.
11.	(a) Security Arrangement (b) Technical and other services	1. Rajasthan Police Department 2. Rajasthan Home Guards Department. 3. Ex-Serviceman, through Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Ltd. Ex-Serviceman, through Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Ltd.	1. Rates for procurement from Rajasthan Police and Rajasthan Home Guards Department shall be approved by the administrative department. 2.For procurement from Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Ltd. rates

1	2	3	4
			shall be approved by their administrative department.
12.	(a) National Flag and Khadi Cloth including Woollen Uniform	Khadi Bhandar	-
	(b) Steel Furniture	The Village Industrial Units registered with the Rajasthan Khadi & Village Industries Board	1. The Rajasthan Khadi & Village Industries Board will publish a list (every year on 1st April) showing the names of the registered Village Industrial Units and details of specification of steel items manufactured by them with the approved rates. 2.The Administrative Department shall, approve the rates. 3.Upto Rs.2.00 Lac in a financial year.

1	2	3	4
13.	(a) (i) Drugs and medicines including Vaccines, Surgical, Sutures	Rajasthan Medical Services Corporation Ltd. (RMSCL) or Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited (RDPL) or Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL)	-
	(ii) Medical equipment, instruments and other hospital supplies	Rajasthan Medical Services Corporation Ltd. (RMSCL)	-
	(b) Homeopathy Medicines	At the rates approved by the Director General, Central Government Health Scheme (CGHS)	-
	(c) Ayurvedic medicines which are not prepared by pharmacies of Ayurved Department	At the rates approved by the Director General, Central Government Health Scheme (CGHS). The Ayurved Department shall continue to prepare the medicines which are prepared by their pharmacies	-
	(d) Artificial Limbs and Assistive Devices	From Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)	-

1	2	3	4
14.	Edible Oil, Oil cake and Deoiled cake	Tilam Sangh, Rajasthan	-
15.	Cereals and pulses	RAJFED/ Rajasthan Food and Civil Supply Corporation Ltd./Food Corporation of India	-
16.	Petrol, diesel, lubricants, furnace oil, LPG, oil	Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum, IBP, Bharat Petroleum	-
17.	Mercury	Minerals and Metal Corporation of India	-
18.	Leather Items	Bharat Leather Emporium or its retail shops - upto Rs. 1.00 lac per annum	-
19.	Iron & Steel	Stock yards of Steel Authority of India, Hindustan Steel	-
20.	Furnishing items like table covers, bed cover, sheets, towels napkins, curtain cloth and tapestries	Authorised shops of Handlooms of Government of India, Government of Rajasthan or other State Governments upto Rs. 1.00 lac per annum	-
21.	Jute carpets and doormats	Coir Board of Government of India	-
22.	Drawing, Survey and other Mathematical Instruments	National Instrument Company Limited, (Survey of India Department, Kolkata)	-

1	2	3	4
23.	(a) Items of Groceries, Controlled commodities and Medicines	Retail shops of Rajasthan State Co-operative consumer Federation (CONFED) or Sahakari Wholesale Upbhokta Bhandars under Consumer Federation (CONFED), Uphar, Samaridhi, Super Bazar, New Delhi	1.The Sahakari Wholesale Upbhokta Bhandars should be authorised wholesaler of articles and/or receive its supplies from the original manufacturers/ producers directly and a certificate to this effect shall be recorded on each bill/ cash memo. 2.In case of items of groceries, the powers are primarily meant for casual requirements and petty purchases. For bulk and regular purchases, procuring entity shall

1	2	3	4
			negotiate the rates through purchase committee before placing the orders. Market Rates for items of similar brands shall be kept in view while making bulk purchases. 3. Purchases of medicines shall be restricted to casual requirements only. In case of bulk purchases, purchases shall be made directly from Government Undertakings, manufacturers, etc.
	(b) Stationery articles	Retail shops of Rajasthan State Co-operative Consumer Federation (CONFED) & Sahakari Wholesale Upbhokta Bhandars	Upto Rs.10,000/- on each occasion with an annual limit of Rs.1.00 lac.

1	2	3	4
		under Consumer Federation (CONFED) Uphar, Samridhi, Super Bazar, New Delhi, Amrita Society of Women and Child Department	
	(c) Phenyl, soaps, detergents, brooms, finit, pump, tumblers, battery cells, torch, mugs, buckets, bags, toilet freshner, washing powder, cleaning powder, etc.	Retail shops of Rajasthan State Co-operative Consumer Federation (CONFED) & Sahakari Wholesale Upbhokta Bhandars under Consumer Federation (CONFED) Uphar, Samridhi, Super Bazar, New Delhi, Amrita Society of Women and Child Department	Upto Rs.10,000/- on each occasion with an annual limit of Rs.50,000/-
24.	The Harvested and converted material of forest namely, fire wood, Char-coal, Timber, Ballies and other wooden articles	Forest Department (State Trading Scheme)	-
25.	(a) Articles manufactured e.g., Duster, Patties, Gauge cloth, Basta, Tape, curtain cloth,	Department of Government (like Jail Department, etc.)	- -

1	2	3	4
	Niwar cloth, carpet, Duries, etc. (b) Desert Coolers	 Manufactured by Central Jails of the State on the rates approved by the Director General Jails, Jaipur	
26.	Vaccine, Frozen Semen, Lymph and antigen	Approved Government Institutions like State Vaccine Institute, Patwadnagar etc.	-
27.	File covers, File pads, Envelopes, Greeting Cards, Chalk sticks, Candles, Dusters, Bastas	From the institutions where these items are made by mentally challenged or specially abled person	The list of such institutions and items produced by the mentally challenged or specially abled person and rates thereof shall be issued by the Administrative Department on 1st April every year. The validity of such list shall automatically stand expired on 31st March every year, if not expired earlier.

1	2	3	4
28.	Animals and birds feed and fodder	RAJFED/Rajasthan Co-operative Dairy Federation	-
29.	Pictures and Paintings	From exhibitions or displays	Through Purchase Committee including representative of Rajasthan Lalit Kala Academy.
30.	Books and journals :		In case more discount than the minimum as mentioned against each item is available, it should be availed.
	(i) (a) Foreign Books :	From publishers, reputed book sellers, book fairs	At minimum discount of 10% on the price converted as per prescribed rates or at lower rates in Indian Currency.
	(b) Foreign Medical Books/ Journals/ Periodicals including e-journals	From publishers, reputed book sellers, book fairs	Discount may be availed, if possible.
	(ii) Indian Book : (a) Text Books	From publishers, reputed book sellers, book fairs	Discount may be availed, if possible.

1	2	3	4
	(b) Books other than Text Books	From publishers, reputed book sellers, book fairs	At minimum 10% discount
	(iii) Law Books/ Publication of Government of India and other States/ Periodicals	From publishers, reputed book sellers, book fairs	Discount may be availed, if possible.
	(iv) Rare Books/Manuscripts/ Rare Documents	From publishers, reputed book sellers, book fairs	Through Purchase Committee.
	(v) e-Books, CD/DVD , e-Journals	From publishers, reputed vendors.	Discount may be availed, if possible.
	(vi) Periodicals and news papers	From publishers, reputed vendors	Discount may be availed, if possible.
31.	Films/photography material	Upto Rs. 50,000/- from the manufacturers or their authorised dealers	-
32.	(1) Circuit Houses, Guest Houses, Rajasthan House, Vishranti (HCM RIPA) TAD Hostels/Schools etc. (a) Catering stores like pulses, spices, sugar, salts, atta, wheat, besan, maida, suji, grams, dry fruits, papad, mangodi, oil,	Purchase shall be made as under :- (a)1.From shops of departments/ Corporations/ Co-operative Societies/ Societies run by the State Government,	1. In case of stores purchased from Upbhokta Bhandars in co-operative sector for TAD hostels and TAD schools in Rajasthan, Commissioner TAD shall negotiate the rates through

1	2	3	4
	vansapati, bottled and tin provisions like Murrabba, Amla product, ketchup, squashes, sharbat, tea, coffee, biscuits, jams, pickels, paper napkins, toilet paper, sauces, cornflakes, etc.	Amrita Society of Women & Child Department through their shops 2.From Rajasthan Food & Civil Supplies Corporation Ltd.	purchase committee before placing the orders of above stated items from them. 2. Purchase shall be made through purchase committee.
	(b) Dairy products like milk, powder, curd, cheese, butter, ghee, cream	(b) From Co-operative Dairies	
	(c) Fuel like wood, LPG, Coal etc.	(c) From Distributors/ Sub-distributors at their current price list. Charcoal and fire wood from the Forest Department	
	(d) Meat, Fish, eggs, chicken	(d) From Dealers/sub-dealers	
	(e) Vegetables, fruits	(e) From Consumer Stores of State level Co-operative Societies, Delhi Super Bazar/ Established/repute d retailers/dealers	

1	2	3	4
	(f) Breads/Sweet.	(f) From Established/ reputed retailers/ dealers	
	(2) Jails, Sub-Jails, Hospitals, Rescue Homes, Shelters, After Care Homes, Police Mess, etc.	Open competitive bids shall be invited as per Rules. If the rates received in bids are considered unusually higher than purchases may be made from Upbhokta Bhandar/ Co-operative Societies/Stores by negotiations at the rates lower than the tendered rates or in case of their not agreeing, the purchases may be made in the manner provided in clause (1) above after recording reasons	-
33.	Printing Work (Black & White and Coloured Printing) and purchases of stationery articles	All Government Presses of Rajasthan	The rates shall be approved by the Administrative Department.
34.	Printing Work (Black & White and Coloured Printing)	From Rajasthan State Cooperative Press Limited	1. The rates shall be approved by the Administrative Department of Printing and Stationery.

1	2	3	4
			2. In case the paper is not supplied by the procuring entity then the cost of paper charged by the RSCPL should not be more than 10% extra on their purchase cost. 3. The State Co-operative Press will be responsible to give complete paper account with invoice of printing. 4. Quality and G.S.M. of paper can be inspected by the procuring entity at any time in the State Cooperative Press.
35.	Repairs and maintenance (including AMC) of Machinery, Equipments used for Office and others,	Through the manufacturers or distributors or authorised dealers after negotiating the rates	-

1	2	3	4
	including providing of spare parts		
36.	Repairs and maintenance of Motor Vehicles including spare parts	1. From the State Motor Garages located in Rajasthan or in departmental workshop, if such workshop have adequate facility and capacity to handle such repairs without affecting their own job 2. In case Motor Garages or departmental workshops do not provide such facility, repairs and maintenance shall be got done from the authorised dealers 3. In case there is no authorised dealer, repairs and maintenance will be done from established mechanics having well equipped workshops by using appropriate method of procurement prescribed in the Act	Spare parts shall always be purchased from the authorised dealers after negotiating the rates.

1	2	3	4
37.	Taking of private land and/or buildings on rent for office and other purposes	From appropriate source	At the rent fixed as per assessment of Public Works Department after obtaining non-availability certificate from the concerned Collector or GAD in case of Jaipur.
38.	Any subject matter of procurement which is produced or manufactured by a department, board, or public sector enterprise of the State or Central Government or it provides specialised services	Department, board, or public sector enterprise of the State or Central Government which produces or manufactures the subject matter or provides specialised services	-
39.	Purchase of motor vehicles	1. From DGS&D rate contract holding firms 2. If a DGS&D Rate Contract is not in existence at the time of purchase, then procurement shall be done from an authorised dealer	The make and model of the motor vehicle will be decided by the State Government as per its policy.
40.	Electronic, electrical and solar equipments and	From Rajasthan Electronics & Instruments Limited	-

1	2	3	4
	consultancy services related to them	(REIL) for items manufactured by them	
41.	Drugs, medicines, surgical, sutures and services related to animals	Veterinary Corporation of Rajasthan or related PSU's of Central Government	-
42.	Hiring of motor vehicles	From any source fulfilling the eligibility criteria fixed by the Finance Department	Upto the rates and on the terms and conditions set out by Finance Department. from time to time.
43.	Hiring of computer with operator	From any source fulfilling the eligibility criteria fixed by the Finance Department	Upto the rates and on the terms and conditions set out by Finance Department. from time to time.
44.	Procurement of works or services by Panchayat Raj Institutions or Local Bodies	From Executing Agencies	Upto the respective BSR rates.
45.	Procurement of works or services by Forest Department	From Village Forest Societies	Upto the respective BSR rates.
46.	Procurement of works, services or goods related to Schemes/Projects/	From Sanitation, Water and Community Health Project (SWACH)	-

1	2	3	4
	Works being implemented by Tribal Area Development Department		
47.	Hiring of Consultancy Services	From PDCOR, WAPCOS, NABCON	-
48.	Display advertisement in news papers, periodicals, electronic media and preparation of publicity material including making of documentary films	Through Department of Information and Public Relations (DIPR) or at the approved rates of DAVP, DIPR, SAMVAD	-
49.	Communications within common user group (CUG) through telephones, mobile phones etc.	From Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL)/ Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL)	-
50.	Food and Beverage, Catering in official meetings/ conferences/ events	From Rajasthan Tourism Development Corporation/ Indian Tourism Development Corporation/Rajasthan State Hotel Corporation	-
51.	Original works and repairs relating to buildings and other works	Public Works Department, Rajasthan State Road Development and Construction Corp., RAVIL	The overheads to be charged shall be decided by the Public Works Department

1	2	3	4
			with concurrence of Finance Department.

General Conditions:

1. The procuring entity while procuring the above subject matter of procurement, shall solicit offer from the sources/ category of bidders specified in the above table and may negotiate the prices offered in good faith, if necessary.
2. The procuring entity may also opt to adopt the method of open competitive bidding for procurement of subject matters.
3. The procurement from the sources/ category of bidders mentioned in the above table is subject to delegation of financial powers and availability of required budget provision.

No.F.1(8)/FD/GF&AR/2011]
By order of the Governor,
Akhil Arora,
Secretary to the Government
Finance (Budget)

Government Central Press, Jaipur.